2023/133
2023/134

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 59/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. देवीलाल पिता काना जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. अमरचन्द पिता पदमा जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती रोड़ी पत्नी मोड़ीलाल जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. हीरा पिता अमरा जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रतना पिता धूला जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मोगा पिता पदमा जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मोहनलाल पिता पदमा जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
6. जमनालाल पिता लाभचन्द जी जैन, निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
7. पवन कुमार पिता लाभचन्द जी जैन, निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती रम्भा पत्नी धूला जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती गंगा पत्नी कान जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती कंकू पत्नी कान जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
11. भूमिधारी तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 60/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. देवीलाल पिता काना जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. अमरचन्द पिता पदमा जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

<u>बनाम</u>

1. श्रीमती रोड़ी पत्नी मोड़ीलाल जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. हीरा पिता अमरा जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रतना पिता धूला जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मोगा पिता पदमा जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
5. मोहनलाल पिता पदमा जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
6. जमनालाल पिता लाभचन्द जी जैन, निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
7. पवन कुमार पिता लाभचन्द जी जैन, निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती रम्भा पत्नी धूला जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती गंगा पत्नी कान जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती कंकू पत्नी कान जी डांगी (पटेल), निवासी चावण्ड, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
11. भूमिधारी तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

<u>उपस्थित</u> :– 1. श्री ओंकार लाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री भूरा लाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं0 3
3. श्री हरीश सेन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 4, 5, 8

———::———

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी सराडा प्रारम्भिक डिक्री दि. 13.11.2013 अंतिम डिक्री दिनांक 08.08.2015 प्रकरण सं. 139/2011

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 07–05–2025</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अ[illegible]न किया कि वादी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की शामलाती आराजी नंबर 2125 से 2128, 2137, 2138, 2312, 5344/2129, 5357/2311 कुल किता 9 रकबा 1.4700 हैक्टर भूमि ग्राम चावण्ड, तहसील सराड़ा में स्थित है। सभी पक्षकारान अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु विधिवत बंटवारा नहीं होने से प्रतिवादीगण दखलन्दाजी करते है। अतः उपरोक्त आराजियात में वादी का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का 3/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 3/16 हिस्सा अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13–11–2013 को वादीया का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 08–08–2015 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री से दिनांक 13–11–2013 से रूष्ट होकर अपील संख्या 59/2023 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 08–08–2015 से रूष्ट होकर अपील संख्या 60/2023 इस न्यायालय में दिनांक 31–07–2023 को प्रस्तुत की गयी हैं।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5, 8 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश सेन उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 139/2011 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने तथा दोनों अपीलों में विवादित आराजियात व पक्षकारान समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी, क्योंकि प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री अपीलान्टगण को बिना सूने उनकी अनुपस्थिति में पारित की गयी हैं। दिनांक 17–07–2023 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 कब्जा करने की नियत से मौके पर आये एवं जे.सी.बी. से अपीलान्ट के पत्थर की कोट गिरा दी। तब अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 21–07–2023 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने पर उक्त प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.डी. 1999 पेज 173, आर.आर.डी. 1998 पेज 319, आर.आर.टी. 2004 पेज 237, आर.आर.टी. 2003 पेज 502, 1006, आर.बी.जे. 2005 पेज 283, डी.एन.जे. 2008 पेज 672, आर.आर.टी. 2008 पेज 1183, आर.आर.टी. 2024 पेज 375 एवं आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 783 प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त डिक्री अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में जारी की गयी, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्टगण को होने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर दोनों अपीलें श्रवणार्थ ग्रहण की जाती हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी संख्या 4 धूला की मृत्यु दिनांक 04–01–2012 को हो चुकी थी तथा प्रतिवादी संख्या 8 कान जी मृत्यु दिनांक 06–09–2012 को हो चुकी थी, जिससे स्पष्ट है कि उक्त डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गयी है। प्रतिवादी संख्या 4 व 8 के वारिसान की नामकायमी नहीं कराये जाने से वादीया का वाद अबेट होने से निरस्त योग्य होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

करने में भूल की है, जैसाकि आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1267, आर.बी.जे. 2009 पेज 483, आर.आर.टी. 2009 पेज 1192, डब्ल्यू.एल.एन. 2018 (3) पेज 66 एवं आर.आर.टी. 2024 (2) पेज 792 में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 रोड़ी बेवा अमरा की मृत्यु करीब 20–22 वर्ष पूर्व हो चुकी है अर्थात रोड़ी की मृत्यु दावा करने से पूर्व ही हो चुकी थी, फिर भी मृतक के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया है, जो शून्य है। मृतक रोड़ी की तामील भी प्रोपर नहीं हुई है। प्रतिवादी संख्या 7 अमर चन्द को भी अधीनस्थ न्यायालय का कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है, जो सम्मन लगा है वह मां को देना बताया है, जो गलत है, क्योंकि मां को कोई सम्मन नहीं दिया गया, न ही इस पर कोई हलपीया रिपोर्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12–04–2010 को प्रतिवादी संख्या 2, 7, 8 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने का आदेश पारित किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। वादीया का पति लेक्चरर पद से रिटायर हुआ है, जिसने षडयंत्र पूर्वक बंटवारे में आराजी नंबर 2312 रकबा 0.1700 हैक्टर अपने हिस्से में करा ली, जबकि इस आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा वर्षो से चला आ रहा है। वादीया का कब्जा आराजी नंबर 2610/2312 पर है व अब वह अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की आड़ में अन्य भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए दोनों अपीलें खारिज करने की प्रार्थना की।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5 व 8 ने क्रोस आब्जेक्शन प्रस्तुत कर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा किये गये कथनों का खण्डन किया तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा किये गये कथनों को ही दोहते हुए क्रोस आब्जेक्शन स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5 व 8 [illegible]न है कि प्रतिवादी संख्या 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested

धूला की मृत्यु दिनांक 04–01–2012 को तथा प्रतिवादी संख्या 8 कान जी मृत्यु दिनांक 06–09–2012 को हो चुकी थी तथा प्रतिवादी संख्या 2 रोड़ी बेवा अमरा की मृत्यु करीब 20–22 वर्ष पूर्व हो चुकी है अर्थात रोड़ी की मृत्यु दावा करने से पूर्व ही हो चुकी थी, जिसका कोई खण्डन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 या अन्य रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा नहीं कियागया है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जबकि कानूनन मृत व्यक्ति के पक्ष में अथवा विरूद्ध किसी प्रकार की डिक्री जारी नहीं की जा सकती। प्रतिवादी संख्या 8 कान के वारिस देवीलाल द्वारा अपील इस न्यायालय में की गयी है, किन्तु प्रतिवादी 8 के वारिसान की नामकायमी नहीं कराये जाने से अपीलान्ट देवीलाल को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 4 धूला व प्रतिवादी संख्या 2 रोड़ी बेवा अमरा के वारिसान की नामकायमी करायी जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय किया जाना हम उचित समझते हैं। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्द बंटवारे के आधार पर जारी अंतिम डिक्री त्रुटि पूर्ण है।

अतः दोनों अपीलें एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4, 5 व 8 का क्रोस आब्जेक्शन स्वीकार किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13–11–2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08–08–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में मृत व्यक्तियों के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर तथा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–06–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 07–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:06:41 IST
Reason: SelfAttested